तारांकित प्रश्न क्र. 457, दिनांक 19.12.22
प्रश्नांश (क)

परिशिष्ट-एक

| हाईस्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शासकीय एवं अशासकीय स्कूल का वर्षवार परीक्षाफल प्रतिशत | | | | | | |
| वर्ष | 2019–20 | | | 2021–22 | | |
| | उत्तीर्ण | अनुत्तीर्ण | पूरक | उत्तीर्ण | अनुत्तीर्ण | पूरक |
| शासकीय | 63.64 | 23.34 | 13.02 | 55.4 | 34.55 | 10.05 |
| अशासकीय | 61.65 | 27.43 | 10.92 | 69.48 | 22.07 | 8.45 |

| हायर सेकण्डरी सर्टीफिकेट परीक्षा | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शासकीय एवं अशासकीय स्कूल का वर्षवार परीक्षाफल प्रतिशत | | | | | | |
| वर्ष | 2019–20 | | | 2021–22 | | |
| | उत्तीर्ण | अनुत्तीर्ण | पूरक | उत्तीर्ण | अनुत्तीर्ण | पूरक |
| शासकीय | 71.43 | 13.11 | 15.46 | 70.92 | 14.49 | 14.59 |
| अशासकीय | 64.93 | 21.12 | 13.95 | 76.3 | 12.76 | 10.94 |

(आर. [illegible])
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

तारांकित प्रश्न क्र. 457
दिनांक 19.12.2022

परिशिष्ट-तीन
प्रश्नांश (ग)

**27. गैर-शैक्षिक प्रयोजनों के लिए शिक्षकों को अभियोजित किए जाने का प्रतिषेध**—किसी शिक्षक को दस वर्षीय जनसंख्या जनगणना, आपदा राहत कर्तव्यों या, यथास्थिति, स्थानीय प्राधिकारी या राज्य विधान-मंडलों या संसद् के निर्वाचनों से संबंधित कर्तव्यों से भिन्न किसी गैर-शैक्षिक प्रयोजनों के लिए अभिनियोजित नहीं किया जाएगा।

**28. शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन का प्रतिषेध**—कोई शिक्षक/शिक्षिका प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट शिक्षण क्रियाकलाप में स्वयं को नहीं लगाएगा/लगाएगी।

**अध्याय 5**

## प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना

**29. पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया**—(1) प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और उसकी मूल्यांकन प्रक्रिया समुचित सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किए जाने वाले शिक्षा प्राधिकारी द्वारा अधिकथित की जाएगी।

(2) शिक्षा प्राधिकारी, उपधारा (1) के अधीन पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया अधिकथित करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा, अर्थात्:

(क) संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों से अनुरूपता;

(ख) बालक का सर्वांगीण विकास;

(ग) बालक के ज्ञान, अन्तःशक्ति, योग्यता का निर्माण करना;

(घ) पूर्णतम मात्रा तक शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का विकास;

(ङ) बाल अनुकूल और बालकेन्द्रित रीति में क्रियाकलापों, प्रकटीकरण और खोज के द्वारा शिक्षण;

(च) शिक्षा का माध्यम, जहां तक साध्य हो बालक की मातृभाषा में होगा;

(छ) बालक को भय, मानसिक अभिघात और चिन्तामुक्त बनाना और बालक को स्वतंत्र रूप से मत व्यक्त करने में सहायता करना;

(ज) बालक के समझने की शक्ति और उसे उपयोग करने की उसकी योग्यता का व्यापक और सतत मूल्यांकन।

**30. परीक्षा और समापन प्रमाणपत्र**—(1) किसी बालक से प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(2) प्रत्येक बालक को, जिसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर ली है, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, एक प्रमाणपत्र दिया जाएगा।

**अध्याय 6**

## बालकों के अधिकार का संरक्षण

**31. बालक के शिक्षा के अधिकार को मानिटर करना**—(1) बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) की, यथास्थिति, धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग या धारा 17 के अधीन गठित राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग, उस अधिनियम के अधीन उन्हें समनुदेशित कृत्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कृत्यों का भी पालन करेगा, अर्थात्:—

(क) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उपबंधित अधिकारों के रक्षोपायों की परीक्षा और पुनर्विलोकन करना और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अध्युपायों की सिफारिश करना;

(ख) निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बालक के अधिकार संबंधी परिवादों की जांच करना; और

(ग) उक्त बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम की धारा 15 और धारा 24 के अधीन यथा उपबंधित आवश्यक उपाय करना।

(2) उक्त आयोगों को, उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बालक के अधिकार से संबंधित किसी विषय में जांच करते समय वही शक्तियां होंगी, जो उक्त बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम की क्रमशः धारा 14 और धारा 24 के अधीन उन्हें समनुदेशित की गई हैं।

(3) जहां किसी राज्य में, राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग गठित नहीं किया गया है वहां समुचित सरकार उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (ग) में विनिर्दिष्ट कृत्यों का पालन करने के प्रयोजन के लिए ऐसी रीति में और ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, ऐसे प्राधिकरण का गठन कर सकेगी।

**32. शिकायतों को दूर करना**—(1) धारा 31 में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी बालक के अधिकार के संबंध में कोई शिकायत है, अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी को लिखित में शिकायत कर सकेगा।

वी। 

तारांकित प्रश्न क्रमांक 457 दिनांक 19.12.22 | परिशिष्ट-~~बी~~ | परिशिष्ट-दो

प्रश्नांश (ख)

| हाईस्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| भोपाल जिले के शासकीय एवं अशासकीय स्कूल का वर्षवार परीक्षाफल प्रतिशत | | | | | | |
| वर्ष | 2019–20 | | | 2021–22 | | |
| | उत्तीर्ण | अनुत्तीर्ण | पूरक | उत्तीर्ण | अनुत्तीर्ण | पूरक |
| शासकीय | 68.97 | 18.53 | 12.49 | 48.66 | 38.85 | 12.48 |
| अशासकीय | 62.37 | 26.08 | 11.55 | 65.34 | 25.3 | 9.36 |

| हायर सेकण्डरी सर्टीफिकेट परीक्षा | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| भोपाल जिले के शासकीय एवं अशासकीय स्कूल का वर्षवार परीक्षाफल प्रतिशत | | | | | | |
| वर्ष | 2019–20 | | | 2021–22 | | |
| | उत्तीर्ण | अनुत्तीर्ण | पूरक | उत्तीर्ण | अनुत्तीर्ण | पूरक |
| शासकीय | 73.55 | 13.17 | 13.27 | 72.83 | 11.09 | 16.07 |
| अशासकीय | 64.08 | 22.14 | 13.78 | 75.33 | 10.23 | 14.43 |

(आर. के. त्रिवेदी)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

District Education Officer
Distt Bhopal